फर्द अहकाम

प्रभुदयाल मोर्य बनाम राजस्थान सरकार

ना पत्र संख्या: 48 /2024

2024/100

या	दिनांक	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	21.03.2024	प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956 का पेश किया। पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गयी। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में निवेदन किया कि प्रार्थी ग्राम लुनियावास तहसील सांगानेर जिला जयपुर का निवासी है प्रार्थी ने ग्राम हिरापुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर मे आराजी कृषि भूमि हाल खाता सख्या 104 के खसरा न० 15 रकबा 0.07 है०, खसरा न० 16 रकबा 0.20 है० कुल किता 2 कुल रकबा 0.27 है० वाके ग्राम हीरापुरा पटवार हल्का व भु० अभि० नि० क्षेत्र लुनियावास तहसील सांगानेर जिला जयपुर मे हिस्सा 1/2 जरिये विक्रय पत्र दिनांक 22/8/1996 को कय किया। तथा 1/2 हिस्सा प्रार्थी के भाई शिवनाथ ने कय किया। जिसके आधार पर नामान्तकरण सख्या 12 दिनांक 19/9/1996 को खोलकर प्रार्थी का 1/2 हिस्सा राजस्व रिकार्ड मे अंकित कर दिया गया। तथा हाल खाता सख्या 82 के खसरा न0 18 रकबा 0.03 है० वाके ग्राम हीरापुरा पटवार हल्का व भु० अभि० नि०क्षेत्र लुनियावास तहसील सांगानेर जिला जयपुर मे प्रार्थी का 1/16 राजस्व रिकार्ड मे अंकित है। प्रार्थी को गांव के लोग प्रभात के नाम से जानते थे परन्तु प्रार्थी के सभी दस्तावेजो मे प्रभुदयाल मोर्य पुत्र बिरदाराम अंकित है। यहां तक की प्रार्थी के पुत्रो के स्कुली दस्तावेजो मे भी प्रार्थी का नाम प्रभुदयाल मोर्य अंकित है। प्रभुदयाल व प्रभात एक ही व्यक्ति का नाम है। गांव के मौजवीर व्यक्ति व स्थानीय निकाय के प्रतिनिधी भी प्रार्थी से भंली भांती परिचित है। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि हाल खाता सख्या 104 के खसरा न0 15 रकबा 0.07 है०, खसरा न0 16 रकबा 0.20 है० कुल किता 2 कुल रकबा 0.27 है० व हाल खाता सख्या 82 के खसरा न० 18 रकबा 0.03 है० वाके ग्राम हीरापुरा पटवार हल्का व भु० अभि० नि० क्षेत्र लुनियावास [illegible] जयपुर मे प्रार्थी का नाम प्रभात पुत्र बिरदा के स्थान पर प्रभुदयाल मोर्य पुत्र बिरदाराम किये जाने के आदेश प्रदान [illegible] बहस प्रार्थी सुनी [illegible] व संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। प्रार्थी [illegible] जमाबन्दी सम्वत् 2076 जिसमें प्रार्थी का प्रभात बनाम बिरदाराम दर्ज है पेश किया। आधार कार्ड में प्रार्थी का नाम प्रभुदयाल मोर्य पुत्र बिरदाराम है एवं छोटा देवी पार्षद वार्ड 122, नगर	

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.04.16 12:30:25 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी

निगम जयपुर ग्रेटर ने एक प्रमाण पत्र पेश किया जो पत्रावली मे शामिल मिसल है, पार्षद छोटा देवी ने अपने प्रमाण पत्र में यह अंकित किया कि प्रार्थी को सभी ग्रामवासी प्रभात व प्रभुदयाल के नाम से जानते है। लेकिन इसके सभी दस्तावेजों में इनका नाम प्रभूदयाल मौर्य है। इनको में 25 साल से व्यक्तिगत रूप से जानती हूँ। उक्त दस्तावेजात के आधार पर प्रार्थी प्रभात व प्रभुदयाल एक ही व्यक्ति होना पाया जाता है। अतः प्रार्थी की ओर से पेश प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम हीरापुरा पटवार हल्का व भु० अभि० नि० क्षेत्र लुनियावास तहसील सांगानेर जिला जयपुर में स्थित हाल खाता सख्या 104 के खसरा न0 15 रकबा 0.07 है०, खसरा न0 16 रकबा 0.20 है० कुल किता 2 कुल रकबा 0.27 है० व हाल खाता सख्या 82 के खसरा न० 18 रकबा 0.03 है० मे प्रार्थी का नाम प्रभात पुत्र बिरदा के स्थान प्रभुदयाल मोर्य पुत्र बिरदाराम किये जाने के आदेश तहसीलदार सांगानेर को दिये जाते है। आदेश की पालना हेतु तहसीलदार सांगानेर को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो, बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 21.03.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.04.16 12:30:25 IST
Reason: SelfAttested